This is a digitally signed Gazette, to verify click here.
https://rajpatra.hp.gov.in

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

वीरवार, 16 जुलाई, 2026 / 25 आषाढ़, 1948

हिमाचल प्रदेश सरकार

HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA- 171 001

NOTIFICATION

Shimla, the 13th July, 2026

No. HHC/GAZ/14-447/2025.—Hon'ble the Chief Justice has been pleased to grant *ex-post facto* sanction of 04 days commuted leave *w.e.f.* 26-06-2026 to 29-06-2026 in favour of

Ms. Reenu Bala, Civil Judge-*cum*-JM (II), Kasauli.

Certified that Ms. Reenu Bala had joined the same post and at the same station from where she proceeded on leave, after expiry of the above period of leave.

Also certified that Ms. Reenu Bala would have continued to hold the post of Civil Judge-*cum*-JM (II), Kasauli, but for her proceeding on leave for the above period.

By order,

Sd /-
Registrar General.

HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA- 171 001

NOTIFICATION

Shimla, the 13th July, 2026

No. HHC/GAZ/14-240/99-II.—Hon'ble the Chief Justice has been pleased to order the cancellation of 04 days un-availed earned leave *w.e.f.* 07-07-2026 to 10-07-2026, already sanctioned *vide* this Registry Notification No. HHC/GAZ/14-240/99-II-19740-50, dated 01-07-2026, in favour of Smt. Jyotsna Sumant Dadhwal, District and Sessions Judge, Bilaspur, H.P.

By order,

Sd /-
Registrar General.

HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA- 171 001

NOTIFICATION

Shimla, the 13th July, 2026

No. HHC/GAZ/14-240/99-II.—Hon'ble the Chief Justice has been pleased to grant 06 days earned leave *w.e.f.* 16-07-2026 to 21-07-2026 in favour of Smt. Jyotsna Sumant Dadhwal, District and Sessions Judge, Bilaspur.

Certified that Smt. Jyotsna Sumant Dadhwal is likely to join the same post and at the same station from where she proceeds on leave, after expiry of the above period of leave.

Also certified that Smt. Jyotsna Sumant Dadhwal, would have continued to hold the post of District and Sessions Judge, Bilaspur but for her proceeding on leave for the above period.

By order,

Sd /-
Registrar General.

HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH AT SHIMLA-171 001

NOTIFICATION

Shimla, the 10th July, 2026

No. HHC/GAZ/14-280/2005-I.—The result of 20th Departmental Examination of the cadre of District Judges/Additional District Judges (Members of Himachal Pradesh Judicial Service) held in June, 2026 is hereby published as under:—

Sl. No.	Name of the Officer	Roll No.	Criminal Law (100 marks)	Civil Law (100 marks)	Revenue Law (100 marks)	Constitution of India (100 marks)	High Court Rules & Orders and Accounts (100 marks)	Language (Hindi in Devnagri Script) (50 marks)
1.	Sh. Sandeep Sharma	2601	42 (F)	67 (P)	68 (P)	47 (F)	28 (F)	23 (F)
2.	Sh. Navish Bhardwaj	2602	57 (F)	67.5 (P)	71 (P)	59 (F)	34 (F)	20 (F)

This is for information of all concerned as required under Rule 2 read with Rule 18 of the Himachal Pradesh Judicial Service Rules, 2004 and Regulation 12(iii) of the Himachal Pradesh Judicial Service (Departmental Examination for direct recruit to the cadre of District Judges/ Additional District Judges) Regulations, 2005.

By order,

Sd /-
Registrar General.

शहरी विकास विभाग

अधिसूचना

शिमला–02, 15 जुलाई, 2026

संख्याः यू.डी.–ए.(3)–18 / 2024–कुल्लू.—हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश नगरपालिका निर्वाचन नियम, 2015 के नियम 90 के उप–नियम (6) एवं नियम 91 के साथ पठित, हिमाचल प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1994 (1994 का अधिनियम संख्यांक 13) की धारा 27 की उप–धारा (1) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, जिला कुल्लू में नगर परिषदों / नगर पंचायतों की बाबत अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के निर्वाचन को निम्न प्रकार से राजपत्र में अधिसूचित करते हैंः–

क्र0 सं0	नगर निकाय का नाम	निर्वाचित अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का नाम व पता	
1.	नगर परिषद, कुल्लू	**अध्यक्ष**	**उपाध्यक्ष**
		श्रीमती आशा ठाकुर, मकान नं0 288, वार्ड संख्या 02, इनर अखाड़ा बाजार, कुल्लू, जिला कुल्लू, हि0प्र0।	श्रीमती शालिनी राय, मकान नं0 166, वार्ड संख्या 8, कुल्लू, जिला कुल्लू, हि0प्र0।

2.	नगर परिषद, मनाली	श्रीमती चन्द्रा देवी बोध, निवासी मकान नं0 17, वार्ड संख्या 7, नगर परिषद मनाली, जिला कुल्लू, हि0प्र0।	श्री ठाकुर दास, निवासी मकान नं0 86, वार्ड नं0 1, नगर परिषद मनाली, जिला कुल्लू, हि0प्र0।
3.	नगर पंचायत, भून्तर	श्रीमती सोनी शर्मा, निवासी वार्ड नं0 06, नजदीक शिव मन्दिर, मेन बाजार भून्तर, जिला कुल्लू, हि0प्र0।	श्रीमती मीना ठाकुर, निवासी गांव व डाकघर शमशी, तहसील भून्तर, जिला कुल्लू, हि0प्र0।
4.	नगर पंचायत, बंजार	श्रीमती धनवंती, अप्पर शेगलू बाजार, भून्तर, जिला कुल्लू, हि0प्र0।	श्रीमती बीना, दाडूधार, नगर पंचायत भून्तर, जिला कुल्लू, हि0प्र0।
5.	नगर पंचायत, निरमण्ड	श्रीमती सपना देवी, वार्ड नं0 04, नगर पंचायत निरमण्ड, जिला कुल्लू, हि0प्र0।	श्री कौशिक कौशल, वार्ड नं0 03, नगर पंचायत निरमण्ड, जिला कुल्लू, हि0प्र0।

उपर्युक्त नगरपालिकाओं के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष के निर्वाचन का परिणाम, जो एतद्द्वारा अधिसूचित किया जाता है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा विशेष अनुमति याचिका (सिविल) डायरी संख्या 35733 / 2026, हिमाचल प्रदेश राज्य एवं अन्य बनाम संजय चौहान आदि में दिनांक 15–06–2026 को पारित आदेश के अनुसार, माननीय हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के समक्ष लंबित कार्यवाही के अंतिम निर्णय के अधीन रहेगा।

हस्ताक्षरित / –
सचिव (शहरी विकास)।

––––––––––

[Authoritative English text of this Department Notification No. UD-A(3)-18/2024-Kullu, dated 15-07-2026 as required under clause(3) of Article 348 of the Constitution of India].

URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, 15th July, 2026

No. UD-A(3)-18/2024-Kullu.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 27 of the Himachal Pradesh Municipal Act, 1994 (Act No. 13 of 1994) read with sub-rule (6) of rule 90 and rule 91 of the Himachal Pradesh Municipal Election Rules, 2015 the Governor of Himachal Pradesh is pleased to notify in the Official Gazette election of the President and Vice-President in respect of Municipal Councils/Nagar Panchayats of District Kullu, H.P., as under:—

Sl. No.	**Name of Municipality**	**Name & Address of elected President & Vice-President**	
1.	Municipal Council, Kullu	**President**	**Vice-President**
		Smt. Asha Thakur, House No. 288, Ward No. 2, Inner Akhara Bazar, Kullu, District Kullu, H.P.	Smt. Shalini Roy, House No. 166, Ward No. 8, Kullu, District Kullu, H.P.
2.	Municipal Council, Manali.	Smt. Chandra Devi Bodh, r/o House No. 17, Ward No. 7, Municipal Council Manali, District Kullu, H.P.	Sh. Thakur Dass, r/o House No. 86, Ward No. 1 Municipal Council Manali, District Kullu, H.P.

3.	Nagar Panchayat, Bhuntar	Smt. Soni Sharma r/o Ward No. 06, Near Shiv Mandir, Main Bazar Bhuntar, P.O. & Tehsil Bhuntar, District Kullu, H.P.	Smt. Meena Thakur, V.P.O. Shamshi, Tehsil Bhuntar, District Kullu, H.P.
4.	Nagar Panchayat, Banjar	Smt. Dhanwanti, Upper Sheglu Bazar, Banjar, District Kullu, H.P.	Smt. Beena, Dhadudhar, Nagar Panchayat Banjar, District Kullu, H.P.
5.	Nagar Panchayat, Nirmand.	Smt. Sapna Devi, Ward No. 04, Nagar Panchayat Nirmand, District Kullu, H.P.	Sh. Kaushik Kaushal, Ward No. 03, Nagar Panchayat Nirmand, District Kullu, H.P.

The result of the election of the President and Vice-President of the above-mentioned municipalities, hereby notified, shall be subject to the final outcome of the proceedings pending before the Hon'ble High Court of Himachal Pradesh, in terms of the order dated 15-06-2026 passed by the Hon'ble Supreme Court in SLP (C) Diary No. 35733/2026-State of Himachal Pradesh *Vs* Sanjay Chauhan.

Sd/-
Secretary (UD).

शहरी विकास विभाग

अधिसूचना

शिमला–02, 15 जुलाई, 2026

संख्याः यू.डी.–ए.(3)–11 / 2024–मण्डी.—हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश नगर निगम निर्वाचन नियम, 2012 के नियम 81–ख के उप–नियम (6) एवं नियम 81–ग के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, जिला मण्डी में नगर निगम मण्डी की बाबत महापौर और उप–महापौर के निर्वाचन को निम्न प्रकार से राजपत्र में अधिसूचित करते हैं :–

नगर निगम का नाम	निर्वाचित अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का नाम व पता	
नगर निगम मण्डी	महापौर	उप–महापौर
	श्रीमती सुमन, मकान नं0 268 / 3 / 5 पैलेस कालॉनी–।।, डाकघर मण्डी, तहसील सदर, जिला मण्डी, हि0प्र0।	श्री जितेन्द्र, मकान नं0 226 / 7, समखेतर, जिला मण्डी, हि0प्र0।

हस्ताक्षरित / –
सचिव (शहरी विकास)।

[Authoritative English text of this Department Notification No. UD-A(3)-11/2024-Mandi dated 15-07-2026 as required under clause(3) of Article 348 of the Constitution of India].

URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 18th July, 2026

No. UD-A(3)-11/2024-Mandi.—In exercise of the powers conferred by sub-rule (6) of rule 81-B and 81-C of the Himachal Pradesh Municipal Corporation Election Rules, 2012, the Governor of Himachal Pradesh is pleased to notify, election of the Mayor and Deputy Mayor in respect of Municipal Corporation Mandi, District Mandi, in the official gazette, as under :—

Name of Municipal Corporation	**Name & Address of elected Mayor & Deputy Mayor**	
Municipal Corporation Mandi.	**Mayor**	**Deputy Mayor**
	Smt. Suman House No. 268/3/5 Palace Colony-II, Post Office Mandi, Tehsil Sadar, District Mandi, H.P.	Sh. Jitender, House No. 226/7, Samkhetar, District, Mandi, H.P.

Sd/-
Secretary(UD).

ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय वर्ग, ककीरा, जिला चम्बा (हि0प्र0)

श्रीमती सृष्टा पुत्री श्री तिलक राज, निवासी गांव टिक्करी, डाकघर नैनीखड, उप–तहसील ककीरा, जिला चम्बा (हि0प्र0) .. प्रार्थिया।

बनाम

आम जनता .. प्रत्यार्थीगण।

विषय.––प्रार्थना–पत्र बराये नाम दुरुस्ती बारे।

उपरोक्त प्रार्थिया श्रीमती सृष्टा पुत्री श्री तिलक राज, निवासी गांव टिक्करी, डाकघर नैनीखड, उप–तहसील ककीरा, जिला चम्बा (हि0प्र0) ने अधोहस्ताक्षरी की अदालत में प्रार्थना–पत्र मय अन्य कागजात इस आशय से गुजारा है कि उसका सही नाम सृष्टा है, जोकि उसके आधार कार्ड, पैन कार्ड व वोटर कार्ड में सही दर्ज है लेकिन राजस्व विभाग के मुहाल टिक्करी, पटवार वृत्त तुनुहट्टी के रिकॉर्ड में उसका नाम कनिष्ठा देवी दर्ज है, जिसकी दुरुस्ती की जावे।

इस सम्बन्ध में सर्वसाधारण जनता को बजरिया इश्तहार सूचित किया जाता है कि प्रार्थिया के नाम दुरुस्ती बारे यदि किसी को कोई उजर / एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन अदालत अधोहस्ताक्षरी दिनांक 12–08–2026 को हाजिर आकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। हाजिर न आने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जा करके नाम दुरुस्ती के आदेश दे दिये जाएंगे।

आज दिनांक 07–07–2026 को मेरे हस्ताक्षर व अदालत मोहर से जारी हुआ।

मोहर। हस्ताक्षरित / –
सहायक समाहर्ता द्वितीय वर्ग,
ककीरा, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश।

————————

ब अदालत नायब तहसीलदार व कार्यकारी दण्डाधिकारी, उप–तहसील पुखरी, जिला चम्बा (हि0प्र0)

बिमला देवी पुत्री लच्छो राम, गांव कुड़गल, डाकघर सिढकुंड, उप–तहसील पुखरी, जिला चम्बा (हि0प्र0) .. वादिया।

बनाम

आम जनता एवं ग्राम पंचायत सिढकुंड, विकास खण्ड चम्बा .. प्रतिवादी।

विषय.––जन्म तिथि प्रविष्ट करने बारा।

इस अदालत में उपमण्डलाधिकारी (ना0) महोदय चम्बा के कार्यालय पृष्ठांकन संख्या 5509 / 2026 दिनांक 03–07–2026 के माध्यम से प्राप्त दस्तावेज क्रमशः

1. जिला पंजीकरण (जन्म एवं मृत्यु) मुख्य चिकित्सा अधिकारी चम्बा के कार्यालय पत्र संख्याः–HFW-B&D/CMO-CBA/2026/18897, दिनांक 12-06-2026.
2. शपथ–पत्र आवेदिका
3. शपथ–पत्र वाशिन्दगान देह
4. जन्म रिपोर्ट
5. अप्राप्यता प्रमाण–पत्र
6. परिवार रजिस्टर नकल
7. आधार कार्ड।

जिसमें आवेदिका बिमला देवी पुत्री लच्छो राम, गांव कुड़गल, डाकघर सिढकुंड, ग्राम पंचायत सिढकुंड, उप–तहसील पुखरी, जिला चम्बा (हि0प्र0) की जन्म तिथि किन्हीं कारणों से पंचायत अभिलेख में दर्ज करने से रह गई है। परिणामस्वरूप पंचायत जन्म पंजीकरण रजिस्टर में आवेदिका बिमला देवी पुत्री लच्छो राम, गांव कुड़गल, डाकघर सिढकुंड का नाम एवं जन्म दर्ज न हुआ है जो नियमानुसार अनिवार्य है। इस विषय की पुष्टि शपथ–पत्र व जारी जन्म रिपोर्ट जो जिला पंजीकरण जन्म एवं मृत्यु अधिकारी चम्बा ने अपने प्रमाण–पत्र जो दिनांक 12–06–2026 को जारी हुआ है, उसमें की है।

अतः सर्वसाधारण को इस नोटिस के माध्यम से सूचित किया जाता है कि श्रीमती बिमला देवी पुत्री लच्छो राम, गांव कुड़गल, डाकघर सिढकुंड, उप–तहसील पुखरी, जिला चम्बा (हि0प्र0) की जन्म तिथि 01–07–1957 जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 की धारा 13(3) के प्रावधानों के अन्तर्गत पंचायत से सम्बन्धित अभिलेख अथवा जिला पंजीकरण (जन्म एवं मृत्यु) द्वारा अभिलेख में दर्ज करने के आदेश पारित किये जाने हैं। अगर किसी को किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति हो तो वह इस अदालत में नोटिस (इश्तहार) के एक माह के भीतर अपनी आपत्ति दर्ज करवा सकता है। निर्धारित अवधि में आपत्ति न आने की सूरत में आवेदिका बिमला देवी पुत्री लच्छो राम, गांव कुड़गल, डाकघर सिढकुंड की जन्म तिथि सम्बन्धित अभिलेख में दर्ज करने के आदेश ग्राम पंचायत सचिव सिढकुंड की जन्म तिथि सम्बन्धित अभिलेख में दर्ज करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 06–07–2026 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत सहित जारी हुआ।

मोहर। हस्ताक्षरित / –
नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,
उप–तहसील पुखरी, जिला चम्बा (हि0प्र0)।

————————

ब अदालत नायब तहसीलदार व कार्यकारी दण्डाधिकारी, उप–तहसील पुखरी, जिला चम्बा (हि0प्र0)

श्रीमती नीलम कुमारी पुत्री श्री धर्म पाल, गांव लड़ोग, डाकघर चण्डी लड़ोग, उप–तहसील पुखरी, जिला चम्बा (हि0प्र0) .. वादिया।

बनाम

आम जनता एवं ग्राम पंचायत चण्डी विकास खण्ड चम्बा .. प्रतिवादी।

विषय.––जन्म तिथि प्रविष्ट करने बारा।

इस अदालत में उपमण्डलाधिकारी (ना0) महोदय चम्बा के कार्यालय पृष्ठांकन संख्या 5556 / 2026 दिनांक 06–07–2026 के माध्यम से प्राप्त दस्तावेज क्रमशः

1. जिला पंजीकरण (जन्म एवं मृत्यु) मुख्य चिकित्सा अधिकारी चम्बा के कार्यालय पत्र संख्याः–HFW-B&D/CMO-CBA/2025/19844, दिनांक 25-06-2026.
2. शपथ–पत्र
3. जन्म रिपोर्ट
4. आधार कार्ड
5. परिवार रजिस्टर नकल

जिसमें आवेदिका श्रीमती नीलम कुमारी पुत्री श्री धर्म पाल, गांव लड़ोग, डाकघर चण्डी लड़ोग, उप–तहसील पुखरी, जिला चम्बा (हि0प्र0) की जन्म तिथि किन्हीं कारणों से पंचायत अभिलेख में दर्ज करने से रह गई है। परिणामस्वरूप पंचायत जन्म पंजीकरण रजिस्टर में आवेदिका श्रीमती नीलम कुमारी पुत्री श्री धर्म पाल, गांव लड़ोग, डाकघर चण्डी लड़ोग, उप–तहसील पुखरी, जिला चम्बा (हि0प्र0) का नाम एवं जन्म दर्ज न हुआ है जो नियमानुसार अनिवार्य है। इस विषय की पुष्टि शपथ–पत्र व जारी जन्म रिपोर्ट जो जिला पंजीकरण जन्म एवं मृत्यु अधिकारी चम्बा ने अपने प्रमाण–पत्र जो दिनांक 25–06–2026 को जारी हुआ है, उसमें की है।

अतः सर्वसाधारण को इस नोटिस के माध्यम से सूचित किया जाता है कि श्रीमती नीलम कुमारी पुत्री श्री धर्म पाल, गांव लड़ोग, डाकघर चण्डी लड़ोग, उप–तहसील पुखरी, जिला चम्बा (हि0प्र0) की जन्म तिथि 06–03–1968 जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 की धारा 13(3) के प्रावधानों के अन्तर्गत पंचायत से सम्बन्धित अभिलेख अथवा जिला पंजीकरण (जन्म एवं मृत्यु) द्वारा अभिलेख में दर्ज करने के आदेश पारित किये जाने हैं। अगर किसी को किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति हो तो वह इस अदालत में नोटिस (इश्तहार) के एक माह के भीतर सुबह 10.00 से सायं 5.00 बजे तक अपनी आपत्ति दर्ज करवा सकता है। निर्धारित अवधि में आपत्ति न आने की सूरत में आवेदिका श्रीमती नीलम कुमारी पुत्री श्री धर्म पाल, गांव लड़ोग, डाकघर चण्डी लड़ोग की जन्म तिथि सम्बन्धित अभिलेख में दर्ज करने के आदेश ग्राम पंचायत सचिव चण्डी को पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 07–07–2026 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत सहित जारी हुआ।

मोहर। हस्ताक्षरित / –
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
उप–तहसील पुखरी, जिला चम्बा (हि0प्र0)।

————————

ब अदालत नायब तहसीलदार व कार्यकारी दण्डाधिकारी, उप–तहसील पुखरी, जिला चम्बा (हि0प्र0)

श्रीमती रूको पुत्री श्री चूहडु राम, गांव द्रबला, डाकघर चण्डी लड़ोग, उप–तहसील पुखरी, जिला चम्बा (हि0प्र0) .. वादिया।

बनाम

आम जनता एवं ग्राम पंचायत चण्डी, विकास खण्ड चम्बा .. प्रतिवादी।

विषय.––जन्म तिथि प्रविष्ट करने बारा।

इस अदालत में उप–मण्डलाधिकारी (ना0) महोदय चम्बा के कार्यालय पृष्ठांकन संख्या 5562 / 2026 दिनांक 07–07–2026 के माध्यम से प्राप्त दस्तावेज क्रमशः

1. जिला पंजीकरण (जन्म एवं मृत्यु) मुख्य चिकित्सा अधिकारी चम्बा के कार्यालय पत्र संख्याः–HFW-B&D/CMO-CBA/2025/20441, दिनांक 06–07–2026.
2. शपथ–पत्र
3. जन्म रिपोर्ट
4. आधार कार्ड
5. परिवार रजिस्टर नकल

जिसमें आवेदिका श्रीमती रूको पुत्री श्री चूहडु राम, गांव द्रबला, डाकघर चण्डी लड़ोग, ग्राम पंचायत चण्डी लड़ोग, उप–तहसील पुखरी, जिला चम्बा (हि0प्र0) की जन्म तिथि किन्हीं कारणों से पंचायत अभिलेख में दर्ज करने से रह गई है। परिणामस्वरूप पंचायत जन्म पंजीकरण रजिस्टर में आवेदिका श्रीमती रूको पुत्री श्री चूहडु राम, गांव द्रबला, डाकघर चण्डी लड़ोग का नाम एवं जन्म तिथि दर्ज न हुई है जो नियमानुसार अनिवार्य है। इस विषय की पुष्टि शपथ–पत्र व जारी जन्म रिपोर्ट जो जिला पंजीकरण जन्म एवं मृत्यु अधिकारी चम्बा ने अपने प्रमाण–पत्र जो दिनांक 06–07–2026 को जारी हुआ है, उसमें की है।

अतः सर्वसाधारण को इस नोटिस के माध्यम से सूचित किया जाता है कि आवेदिका श्रीमती रूको पुत्री श्री चूहडु राम, गांव द्रबला, डाकघर चण्डी लड़ोग, उप–तहसील पुखरी, जिला चम्बा (हि0प्र0) की जन्म तिथि 03–05–1961 जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 की धारा 13(3) के प्रावधानों के अन्तर्गत पंचायत से सम्बन्धित अभिलेख अथवा जिला पंजीकरण (जन्म एवं मृत्यु) द्वारा अभिलेख में दर्ज करने के आदेश पारित किये जाने हैं। अगर किसी को किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति हो तो वह इस अदालत में नोटिस (इश्तहार) के एक माह के भीतर सुबह 10.00 से सांय 5.00 बजे तक अपनी आपत्ति दर्ज करवा सकता है। निर्धारित अवधि में आपत्ति न आने की सूरत में आवेदिका श्रीमती रूको पुत्री श्री चूहडु राम, गांव द्रबला, डाकघर चण्डी लड़ोग की जन्म तिथि सम्बन्धित अभिलेख में दर्ज करने के आदेश ग्राम पंचायत सचिव चण्डी को पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 10–07–2026 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत सहित जारी हुआ।

मोहर। हस्ताक्षरित / –
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
उप–तहसील पुखरी, जिला चम्बा (हि0प्र0)।

ब अदालत नायब तहसीलदार व कार्यकारी दण्डाधिकारी, उप–तहसील पुखरी, जिला चम्बा (हि0प्र0)

श्री विपन कुमार पुत्र श्री शक्ति प्रसाद, गांव भूमणी, डाकघर पुखरी, उप–तहसील पुखरी, जिला चम्बा (हि0प्र0) .. वादी।

बनाम

आम जनता एवं ग्राम पंचायत पुखरी विकास खण्ड चम्बा .. प्रतिवादी।

विषय.––जन्म तिथि प्रविष्ट करने बारा।

इस अदालत में उपमण्डलाधिकारी (ना0) महोदय चम्बा के कार्यालय पृष्ठांकन संख्या 1851 / 2026 दिनांक 19–03–2026 के माध्यम से प्राप्त दस्तावेज क्रमशः

1. जिला पंजीकरण (जन्म एवं मृत्यु) मुख्य चिकित्सा अधिकारी चम्बा के कार्यालय पत्र संख्याः–HFW-B&D/CMO-CBA/2025/6275, दिनांक 18-03-2026.
2. शपथ–पत्र
3. जन्म रिपोर्ट
4. आधार कार्ड
5. परिवार रजिस्टर नकल

जिसमें आवेदक श्री विपन कुमार पुत्र श्री शक्ति प्रसाद, गांव भूमणी, डाकघर पुखरी, उप–तहसील पुखरी, जिला चम्बा (हि0प्र0) की जन्म तिथि किन्हीं कारणों से पंचायत अभिलेख में दर्ज करने से रह गई है। परिणाम स्वरूप पंचायत जन्म पंजीकरण रजिस्टर में आवेदक श्री विपन कुमार पुत्र श्री शक्ति प्रसाद, गांव भूमणी, डाकघर पुखरी का नाम एवं जन्म दर्ज न हुआ है जो नियमानुसार अनिवार्य है। इस विषय की पुष्टि शपथ–पत्र व जारी जन्म रिपोर्ट जो जिला पंजीकरण जन्म एवं मृत्यु अधिकारी चम्बा ने अपने प्रमाण–पत्र जो दिनांक 18–03–2026 को जारी हुआ है, उसमें की है।

अतः सर्वसाधारण को इस नोटिस के माध्यम से सूचित किया जाता है कि श्री विपन कुमार पुत्र श्री शक्ति प्रसाद, गांव भूमणी, डाकघर पुखरी, उप–तहसील पुखरी, जिला चम्बा (हि0प्र0) की जन्म तिथि 05–05–1972 जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 की धारा 13(3) के प्रावधानों के अन्तर्गत पंचायत से सम्बन्धित अभिलेख अथवा जिला पंजीकरण (जन्म एवं मृत्यु) द्वारा अभिलेख में दर्ज करने के आदेश पारित किये जाने हैं। अगर किसी को किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति हो तो वह इस अदालत में नोटिस (इश्तहार) के एक माह के भीतर सुबह 10.00 से सायं 5.00 बजे तक अपनी आपत्ति दर्ज करवा सकता है। निर्धारित अवधि में आपत्ति न आने की सूरत में आवेदक श्री विपन कुमार पुत्र श्री शक्ति प्रसाद, गांव भूमणी, डाकघर पुखरी की जन्म तिथि सम्बन्धित अभिलेख में दर्ज करने के आदेश ग्राम पंचायत सचिव पुखरी को पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 06–07–2026 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत सहित जारी हुआ।

मोहर। हस्ताक्षरित / –
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
उप–तहसील पुखरी, जिला चम्बा (हि0प्र0)।

––––––––––

ब अदालत नायब तहसीलदार व कार्यकारी दण्डाधिकारी, उप–तहसील पुखरी, जिला चम्बा (हि0प्र0)

श्रीमती सुषमा कुमारी पुत्री श्री ओम दत, गांव व डाकघर चकलू, उप–तहसील पुखरी, जिला चम्बा (हि0प्र0) .. वादिया।

बनाम

आम जनता एवं ग्राम पंचायत चकलू विकास खण्ड चम्बा ..... प्रतिवादी।

विषय.––जन्म तिथि प्रविष्ट करने बारा।

इस अदालत में उपमण्डलाधिकारी (ना0) महोदय चम्बा के कार्यालय पृष्ठांकन संख्या 5558 / 2026 दिनांक 07–07–2026 के माध्यम से प्राप्त दस्तावेज क्रमशः

1. जिला पंजीकरण (जन्म एवं मृत्यु) मुख्य चिकित्सा अधिकारी चम्बा के कार्यालय पत्र संख्याः–HFW-B&D/CMO-CBA/2025/22447, दिनांक 06-07-2026.
2. शपथ–पत्र
3. जन्म रिपोर्ट
4. आधार कार्ड
5. परिवार रजिस्टर नकल

जिसमें आवेदिका श्रीमती सुषमा कुमारी पुत्री श्री ओम दत, गांव व डाकघर चकलू, उप–तहसील पुखरी, जिला चम्बा (हि0प्र0) की जन्म तिथि किन्हीं कारणों से पंचायत अभिलेख में दर्ज करने से रह गई है। परिणाम स्वरूप पंचायत जन्म पंजीकरण रजिस्टर में आवेदिका श्रीमती सुषमा कुमारी पुत्री श्री ओम दत, गांव व डाकघर चकलू का नाम एवं जन्म तिथि दर्ज न हुआ है जो नियमानुसार अनिवार्य है। इस विषय की पुष्टि शपथ–पत्र व जारी जन्म रिपोर्ट जो जिला पंजीकरण जन्म एवं मृत्यु अधिकारी चम्बा ने अपने प्रमाण–पत्र जो दिनांक 06–07–2026 को जारी हुआ है, उसमें की है।

अतः सर्वसाधारण को इस नोटिस के माध्यम से सूचित किया जाता है कि श्रीमती सुषमा कुमारी पुत्री श्री ओम दत, गांव व डाकघर चकलू, उप–तहसील पुखरी, जिला चम्बा की जन्म तिथि 05–03–1974 जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 की धारा 13(3) के प्रावधानों के अन्तर्गत पंचायत से सम्बन्धित अभिलेख अथवा जिला पंजीकरण (जन्म एवं मृत्यु) द्वारा अभिलेख दर्ज करने के आदेश पारित किये जाने हैं। अगर किसी को किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति हो तो वह इस अदालत में नोटिस (इश्तहार) के एक माह के भीतर सुबह 10.00 से सायं 5.00 बजे तक अपनी आपत्ति दर्ज करवा सकता है। निर्धारित अवधि में आपत्ति न आने की सूरत में आवेदिका श्रीमती सुषमा कुमारी पुत्री श्री ओम दत, गांव व डाकघर चकलू की जन्म तिथि सम्बन्धित अभिलेख में दर्ज करने के आदेश ग्राम पंचायत सचिव चकलू को पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 08–07–2026 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत सहित जारी हुआ।

मोहर। हस्ताक्षरित / –
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
उप–तहसील पुखरी, जिला चम्बा (हि0प्र0)।

––––––––––

ब अदालत श्री विकास शर्मा, हि0प्र0से0, उपमण्डल दण्डाधिकारी, भरमौर, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश

तारीख पेशी : 31–07–2026

सवरना कुमारी पुत्री श्री मान सिंह, निवासी गांव असंडो, डाकघर खणी (ग्राम पंचायत खणी), तहसील भरमौर, जिला चम्बा (हि0प्र0)।

बनाम

सरकार हिमाचल प्रदेश

उनवान मुकद्दमा : जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण (Birth and Death Registartion).

जैसा कि सवरना कुमारी पुत्री श्री मान सिंह, निवासी गांव असंडो, डाकघर खणी (ग्राम पंचायत खणी), तहसील भरमौर, जिला चम्बा (हि0प्र0) में अपनी जन्म पंजीकरण (जन्म तिथि 07–04–2000) दर्ज करवाने हेतु अधोहस्ताक्षरी के समक्ष प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया है। अगर उक्त जन्म पंजीकरण सम्बन्धी किसी व्यक्ति विशेष या आम जनता को किसी प्रकार का उजर / एतराज हो तो वह दिनांक 31–07–2026 को प्रातः 11.30 बजे हाजिर अदालत होकर अपना उजर / एतराज पेश करे। उजर / एतराज पेश न होने की सूरत में कार्यवाही एकतरफा अमल में लाई जाएगी।

आज दिनांक 01 जुलाई, 2026 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर। हस्ताक्षरित / –
(विकास शर्मा, हि0प्र0से0),
उप–मण्डल दण्डाधिकारी,
भरमौर, जिला चम्बा (हि0प्र0)।

––––––––––

ब अदालत श्री डी0सी0 राणा, नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी मैजिस्ट्रेट, सलूणी, जिला चम्बा (हि0प्र0)

सुश्री वैष्णवी वर्मा पुत्री महेंदर कुमार, निवासी गांव शलयुंड, परगना मन्जीर, तहसील सलूणी, जिला चम्बा (हि0प्र0) .. वादिया।

बनाम

आम जनता .. प्रतिवादी।

उनवान मुकद्दमा.––जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 की धारा 13(3) के अन्तर्गत विलम्बित जन्म / मृत्यु पंजीकरण करने बारे।

सुश्री वैष्णवी वर्मा पुत्री महेंदर कुमार, निवासी गांव शलयुंड, परगना मन्जीर, तहसील सलूणी, जिला चम्बा (हि0प्र0) ने इस न्यायालय में प्रार्थना–पत्र गुजार कर निवेदन किया है कि उनका जन्म 29–04–2008 को ग्राम पंचायत सलूणी, तहसील सलूणी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश में हुआ था, लेकिन वह अज्ञानतावश अपने जन्म का पंजीकरण ग्राम पंचायत सलूणी, तहसील सलूणी, जिला चम्बा के जन्म एवं मृत्यु रजिस्टर में दर्ज नहीं करवा सकी। अतः ग्राम पंचायत सलूणी के जन्म एवं मृत्यु रजिस्टर में उसके जन्म का विलम्बित पंजीकरण करने के आदेश पारित किए जाएं।

अतः उपरोक्त जन्म पंजीकरण बारे सर्वसाधारण व आम जनता को इस राजपत्र इश्तहार व मुनादी द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त जन्म पंजीकरण बारे कोई उजर / एतराज हो तो उजरकर्ता दिनांक 24–07–2026 को प्रातः 10.00 बजे इस मुकद्दमा की पैरवी हेतु व्यक्तिगत रूप से अथवा किसी अधिकृत एजैन्ट के माध्यम से या किसी अधिवक्ता के माध्यम से इस न्यायालय में उपस्थित होकर उजर पेश कर सकता है। गैरहाजिरी की सूरत में मुताबिक प्रार्थना–पत्र जन्म पंजीकरण करने हेतु आदेश पारित कर दिये जाएंगे एवं तारीख पेशी अर्थात 24–07–2026 के बाद कोई भी उजर / एतराज विचारणीय न होगा।

आज दिनांक 04–07–2026 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर न्यायालय द्वारा जारी किया गया।

मोहर। हस्ताक्षरित / –
नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी मैजिस्ट्रेट,
सलूणी, जिला चम्बा (हि0प्र0)।

————————

ब अदालत श्री डी0सी0 राणा, नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी मैजिस्ट्रेट, सलूणी, जिला चम्बा (हि0प्र0)

श्रीमती चीनो देवी पुत्री चतरो, निवासी गांव भलका, परगना भान्दल, तहसील सलूणी, जिला चम्बा (हि0प्र0) .. वादिया।

बनाम

आम जनता .. प्रतिवादी।

उनवान मुकद्दमा.––जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 की धारा 13(3) के अन्तर्गत विलम्बित जन्म / मृत्यु पंजीकरण करने बारे।

श्रीमती चीनो देवी पुत्री चतरो, निवासी गांव भलका, परगना भान्दल, तहसील सलूणी, जिला चम्बा (हि0प्र0) ने इस न्यायालय में प्रार्थना–पत्र गुजार कर निवेदन किया है कि उनका जन्म 01–01–1972 को ग्राम पंचायत भान्दल, तहसील सलूणी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश में हुआ था, लेकिन वह अज्ञानतावश अपने जन्म का पंजीकरण ग्राम पंचायत भान्दल, तहसील सलूणी, जिला चम्बा के जन्म एवं मृत्यु रजिस्टर में दर्ज नहीं करवा सकी। अतः ग्राम पंचायत भान्दल के जन्म एवं मृत्यु रजिस्टर में उसके जन्म का विलम्बित पंजीकरण करने के आदेश पारित किए जाएं।

अतः उपरोक्त जन्म पंजीकरण बारे सर्वसाधारण व आम जनता को इस राजपत्र इश्तहार व मुनादी द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त जन्म पंजीकरण बारे कोई उजर / एतराज हो तो उजरकर्ता दिनांक 24–07–2026 को प्रातः 10.00 बजे इस मुकद्दमा की पैरवी हेतु व्यक्तिगत रूप से अथवा किसी अधिकृत एजैन्ट के माध्यम से या किसी अधिवक्ता के माध्यम से इस न्यायालय में उपस्थित होकर उजर पेश कर सकता है। गैरहाजिरी की सूरत में मुताबिक प्रार्थना–पत्र जन्म पंजीकरण करने हेतु आदेश पारित कर दिये जाएंगे एवं तारीख पेशी अर्थात् 24–07–2026 के बाद कोई भी उजर / एतराज विचारणीय न होगा।

आज दिनांक 04–07–2026 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर न्यायालय द्वारा जारी किया गया।

मोहर। हस्ताक्षरित / –
नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी मैजिस्ट्रेट,
सलूणी, जिला चम्बा (हि0प्र0)।

————————

ब अदालत श्री डी0सी0 राणा, नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी मैजिस्ट्रेट, सलूणी, जिला चम्बा (हि0प्र0)

श्रीमती रुखमणी पुत्री धनी राम, निवासी गांव शिपयाड़ा, परगना हिमगिरी, तहसील सलूणी, जिला चम्बा (हि0प्र0) .. वादिया।

बनाम

आम जनता .. प्रतिवादी।

उनवान मुकद्दमा.––जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 की धारा 13(3) के अन्तर्गत विलम्बित जन्म / मृत्यु पंजीकरण करने बारे।

श्रीमती रुखमणी पुत्री धनी राम, निवासी गांव शिपयाड़ा, परगना हिमगिरी, तहसील सलूणी, जिला चम्बा (हि0प्र0) ने इस न्यायालय में प्रार्थना–पत्र गुजार कर निवेदन किया है कि उनका जन्म 01–01–1962 को ग्राम पंचायत भड़ेला, तहसील सलूणी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश में हुआ था, लेकिन वह अज्ञानतावश अपने जन्म का पंजीकरण ग्राम पंचायत भड़ेला, तहसील सलूणी, जिला चम्बा के जन्म एवं मृत्यु रजिस्टर में दर्ज नहीं करवा सकी। अतः ग्राम पंचायत भड़ेला के जन्म एवं मृत्यु रजिस्टर में उसके जन्म का विलम्बित पंजीकरण करने के आदेश पारित किए जाएं।

अतः उपरोक्त जन्म पंजीकरण बारे सर्वसाधारण व आम जनता को इस राजपत्र इश्तहार व मुनादी द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त जन्म पंजीकरण बारे कोई उजर / एतराज हो तो उजरकर्ता दिनांक 24–07–2026 को प्रातः 10.00 बजे इस मुकद्दमा की पैरवी हेतु व्यक्तिगत रूप से अथवा किसी अधिकृत एजैन्ट के माध्यम से या किसी अधिवक्ता के माध्यम से इस न्यायालय में उपस्थित होकर उजर पेश कर सकता है। गैरहाजिरी की सूरत में मुताबिक प्रार्थना–पत्र जन्म पंजीकरण करने हेतु आदेश पारित कर दिये जाएंगे एवं तारीख पेशी अर्थात् 24–07–2026 के बाद कोई भी उजर / एतराज विचारणीय न होगा।

आज दिनांक 04–07–2026 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर न्यायालय द्वारा जारी किया गया।

मोहर। हस्ताक्षरित / –
नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी मैजिस्ट्रेट,
सलूणी, जिला चम्बा (हि0प्र0)।

————————

ब अदालत श्री डी0सी0 राणा, नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी मैजिस्ट्रेट, सलूणी, जिला चम्बा (हि0प्र0)

श्रीमती उषा देवी पुत्री रामा, निवासी गांव लहणाई, परगना मन्जीर, तहसील सलूणी, जिला चम्बा (हि0प्र0) .. वादिया।

बनाम

आम जनता .. प्रतिवादी।

उनवान मुकद्दमा.––जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 की धारा 13(3) के अन्तर्गत विलम्बित जन्म / मृत्यु पंजीकरण करने बारे।

श्रीमती उषा देवी पुत्री रामा, निवासी गांव लहणाई, परगना मन्जीर, तहसील सलूणी, जिला चम्बा (हि0प्र0) ने इस न्यायालय में प्रार्थना–पत्र गुजार कर निवेदन किया है कि उनका जन्म 01–06–1973 को ग्राम पंचायत सलूणी, तहसील सलूणी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश में हुआ था, लेकिन वह अज्ञानतावश अपने जन्म का पंजीकरण ग्राम पंचायत सलूणी, तहसील सलूणी, जिला चम्बा के जन्म एवं मृत्यु रजिस्टर में दर्ज नहीं करवा सकी। अतः ग्राम पंचायत सलूणी के जन्म एवं मृत्यु रजिस्टर में उसके जन्म का विलम्बित पंजीकरण करने के आदेश पारित किए जाएं।

अतः उपरोक्त जन्म पंजीकरण बारे सर्वसाधारण व आम जनता को इस राजपत्र इश्तहार व मुनादी द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त जन्म पंजीकरण बारे कोई उजर / एतराज हो तो उजरकर्ता दिनांक 24–07–2026 को प्रातः 10.00 बजे इस मुकद्दमा की पैरवी हेतु व्यक्तिगत रूप से अथवा किसी अधिकृत एजैन्ट के माध्यम से या किसी अधिवक्ता के माध्यम से इस न्यायालय में उपस्थित होकर उजर पेश कर सकता है। गैरहाजिरी की सूरत में मुताबिक प्रार्थना–पत्र जन्म पंजीकरण करने हेतु आदेश पारित कर दिये जाएंगे एवं तारीख पेशी अर्थात् 24–07–2026 के बाद कोई भी उजर / एतराज विचारणीय न होगा।

आज दिनांक 04–07–2026 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर न्यायालय द्वारा जारी किया गया।

मोहर। हस्ताक्षरित / –
नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी मैजिस्ट्रेट,
सलूणी, जिला चम्बा (हि0प्र0)।

————————

ब अदालत श्री डी0सी0 राणा, नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी मैजिस्ट्रेट, सलूणी, जिला चम्बा (हि0प्र0)

श्रीमती आशा कुमारी पत्नी विनोद कुमार, निवासी गांव मन्जीर, परगना मन्जीर, तहसील सलूणी, जिला चम्बा (हि0प्र0) .. वादिया।

बनाम

आम जनता .. प्रतिवादी।

उनवान मुकद्दमा.––जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 की धारा 13(3) के अन्तर्गत विलम्बित जन्म / मृत्यु पंजीकरण करने बारे।

श्रीमती आशा कुमारी पत्नी विनोद कुमार, निवासी गांव मन्जीर, परगना मन्जीर, तहसील सलूणी, जिला चम्बा (हि0प्र0) ने इस न्यायालय में प्रार्थना–पत्र गुजार कर निवेदन किया है कि उनके पुत्र रिशब ठाकुर का जन्म 07–07–2015 को ग्राम पंचायत मन्जीर, तहसील सलूणी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश में हुआ था, लेकिन वह अज्ञानतावश जन्म का पंजीकरण ग्राम पंचायत मन्जीर, तहसील सलूणी, जिला चम्बा के जन्म एवं मृत्यु रजिस्टर में दर्ज नहीं करवा सकी। अतः ग्राम पंचायत मन्जीर के जन्म एवं मृत्यु रजिस्टर में जन्म का विलम्बित पंजीकरण करने के आदेश पारित किए जाएं।

अतः उपरोक्त जन्म पंजीकरण बारे सर्वसाधारण व आम जनता को इस राजपत्र इश्तहार व मुनादी द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त जन्म पंजीकरण बारे कोई उजर / एतराज हो तो उजरकर्ता दिनांक 24–07–2026 को प्रातः 10.00 बजे इस मुकद्दमा की पैरवी हेतु व्यक्तिगत रूप से अथवा किसी अधिकृत एजैन्ट के माध्यम से या किसी अधिवक्ता के माध्यम से इस न्यायालय में उपस्थित होकर उजर पेश कर सकता है। गैरहाजिरी की सूरत में मुताबिक प्रार्थना–पत्र जन्म पंजीकरण करने हेतु आदेश पारित कर दिये जाएंगे एवं तारीख पेशी अर्थात् 24–07–2026 के बाद कोई भी उजर / एतराज विचारणीय न होगा।

आज दिनांक 04–07–2026 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर न्यायालय द्वारा जारी किया गया।

मोहर। हस्ताक्षरित / –
नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी मैजिस्ट्रेट,
सलूणी, जिला चम्बा (हि0प्र0)।

ब अदालत श्री डी0सी0 राणा, नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी मैजिस्ट्रेट, सलूणी, जिला चम्बा (हि0प्र0)

श्री लतीफ मुहम्मद पुत्र दीन मुहम्मद, निवासी गांव धुत्ता, परगना डियूर, तहसील सलूणी, जिला चम्बा (हि0प्र0) .. वादी।

बनाम

आम जनता .. प्रतिवादी।

उनवान मुकद्दमा.––जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 की धारा 13(3) के अन्तर्गत विलम्बित जन्म / मृत्यु पंजीकरण करने बारे।

श्री लतीफ मुहम्मद पुत्र दीन मुहम्मद, निवासी गांव धुत्ता, परगना डियूर, तहसील सलूणी, जिला चम्बा (हि0प्र0) ने इस न्यायालय में प्रार्थना–पत्र गुजार कर निवेदन किया है कि उनके पुत्र तारक अली का जन्म 30–06–2009 को ग्राम पंचायत डियूर, तहसील सलूणी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश में हुआ था, लेकिन वह अज्ञानतावश उनके जन्म का पंजीकरण ग्राम पंचायत डियूर, तहसील सलूणी, जिला चम्बा के जन्म एवं मृत्यु रजिस्टर में दर्ज नहीं करवा सका। अतः ग्राम पंचायत डियूर के जन्म एवं मृत्यु रजिस्टर में उसके जन्म का विलम्बित पंजीकरण करने के आदेश पारित किए जाएं।

अतः उपरोक्त जन्म पंजीकरण बारे सर्वसाधारण व आम जनता को इस राजपत्र इश्तहार व मुनादी द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त जन्म पंजीकरण बारे कोई उजर / एतराज हो तो उजरकर्ता दिनांक 24–07–2026 को प्रातः 10.00 बजे इस मुकद्दमा की पैरवी हेतु व्यक्तिगत रूप से अथवा किसी अधिकृत एजैन्ट के माध्यम से या किसी अधिवक्ता के माध्यम से इस न्यायालय में उपस्थित होकर उजर पेश कर सकता है। गैरहाजिरी की सूरत में मुताबिक प्रार्थना–पत्र जन्म पंजीकरण करने हेतु आदेश पारित कर दिये जाएंगे एवं तारीख पेशी अर्थात् 24–07–2026 के बाद कोई भी उजर / एतराज विचारणीय न होगा।

आज दिनांक 04–07–2026 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर न्यायालय द्वारा जारी किया गया।

मोहर। हस्ताक्षरित / –
नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी मैजिस्ट्रेट,
सलूणी, जिला चम्बा (हि0प्र0)।

––––––––

ब अदालत श्री डी0सी0 राणा, नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी मैजिस्ट्रेट, सलूणी, जिला चम्बा (हि0प्र0)

श्रीमती रीता कुमारी पुत्री जय राम, निवासी गांव जड्डू, परगना मन्जीर, तहसील सलूणी, जिला चम्बा (हि0प्र0) .. वादिया।

बनाम

आम जनता .. प्रतिवादी।

उनवान मुकद्दमा.––जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 की धारा 13(3) के अन्तर्गत विलम्बित जन्म / मृत्यु पंजीकरण करने बारे।

श्रीमती रीता कुमारी पुत्री जय राम, निवासी गांव जड्डू, परगना मन्जीर, तहसील सलूणी, जिला चम्बा (हि0प्र0) ने इस न्यायालय में प्रार्थना–पत्र गुजार कर निवेदन किया है कि उनका जन्म 28–11–1992को ग्राम

पंचायत ब्याना, तहसील सलूणी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश में हुआ था, लेकिन वह अज्ञानतावश उनके जन्म का पंजीकरण ग्राम पंचायत ब्याना, तहसील सलूणी, जिला चम्बा के जन्म एवं मृत्यु रजिस्टर में दर्ज नहीं करवा सकी। अतः ग्राम पंचायत ब्याना के जन्म एवं मृत्यु रजिस्टर में उसके जन्म का विलम्बित पंजीकरण करने के आदेश पारित किए जाएं।

अतः उपरोक्त जन्म पंजीकरण बारे सर्वसाधारण व आम जनता को इस राजपत्र इश्तहार व मुनादी द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त जन्म पंजीकरण बारे कोई उजर / एतराज हो तो उजरकर्ता दिनांक 24–07–2026 को प्रातः 10.00 बजे इस मुकद्दमा की पैरवी हेतु व्यक्तिगत रूप से अथवा किसी अधिकृत एजैन्ट के माध्यम से या किसी अधिवक्ता के माध्यम से इस न्यायालय में उपस्थित होकर उजर पेश कर सकता है। गैरहाजिरी की सूरत में मुताबिक प्रार्थना–पत्र जन्म पंजीकरण करने हेतु आदेश पारित कर दिये जाएंगे एवं तारीख पेशी अर्थात् 24–07–2026 के बाद कोई भी उजर / एतराज विचारणीय न होगा।

आज दिनांक 04–07–2026 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर न्यायालय द्वारा जारी किया गया।

मोहर। हस्ताक्षरित / –
नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी मैजिस्ट्रेट,
सलूणी, जिला चम्बा (हि0प्र0)।

————————

In the Court of Sh. Vikash Shukla, HAPS, Marriage Officer-cum- Sub-Divisional Magistrate Sujanpur, District Hamirpur (H.P.)

In the matter of :

1. Deval aged 22 years s/o Sh. Raj Kumar, r/o New Geeta Colony, Mirzapur Road, Hisar, Haryana.

2. Kusum aged 22 years d/o Sh. Raghubir Singh r/o V.P.O. Kalwan, Tehsil Narwana, District Jind, Haryana. .. *Applicants.*

Versus

General Public

Application for the registration of marriage under Section 16 of Special Marriage Act, 1954 (Central Act) as amended by Marriage Laws (Amendment Act, 01, 49 of 2001).

Deval aged 22 years s/o Sh. Raj Kumar, r/o New Geeta Colony, Mirzapur Road, Hisar, Haryana and Kusum aged 22 years d/o Sh. Raghubir Singh r/o V.P.O. Kalwan, Tehsil Narwana, District Jind, Haryana have filed an application in the court of under Section 16 of Special Marriage Act, 1954 (Central Act) as amended by the Marriage Laws (amendment Act 01, 49 of 2001) that they have solemnized their marriage ceremony on 29-05-2026 at Radha Krishan Mandir Sujanpur, Tehsil Sujanpur, Distt. Hamirpur (H.P.) as per Hindu Rights and Customs and they are living together as husband and wife since then. Hence their marriage may be registered under Special Marriage Act, 1954.

Therefore, the general public is hereby informed through this notice that any person who has any objections regarding this marriage can file the objections personally or in writing before this court on or before 07-08-2026. After that no objections will be entertained and marriage will be registered accordingly.

Issued today on 04-06-2026 under my hand and seal of the court.

Seal. Sd/-

Marriage Officer-cum-
Sub Divisional Magistrate,
Sujanpur, District Hamirpur (H.P.).

In the Court of Executive Magistrate (Naib Tehsildar), Bhoranj,
District Hamirpur (H.P.)

In the matter of :

Sh. Sita Ram s/o Sh. Hariya Ram, r/o Village Dhirar, P.O. Nagrota Gazian, Tehsil Bhoranj, District Hamirpur (H.P.) .. *Applicant.*

Versus

General Public . .*Respondent.*

Application u/s 13(3) of Birth and Death Registration Act, 1969 and Section 9(3) of H.P. Birth and Death Registration Rules, 2003.

Whereas, Sh. Sita Ram s/o Sh. Hariya Ram, r/o Village Dhirar, P.O. Nagrota Gazian, Tehsil Bhoranj, District Hamirpur (H.P.) has moved an application before the undersigned under section 13(3) of Birth & Death Registration Act, 1969 and Section 9(3) of H.P. Birth & Death Registration Rules, 2003 alongwith affidavits and other relevant documents for entering date of birth 11-02-1953 could not be registered in the record of G.P. Dhirar.

Now, therefore by this proclamation, the general public is hereby informed that any person having any objection(s) for the registration of delayed Date of Birth Sh. Sita Ram s/o Sh. Hariya Ram, of may submit their objections in writing or appear in person in this court on or before 06-08-2026 at 10.00 A.M., failing which no objection will be entertained after expiry of date.

Seal. Sd/-

Executive Magistrate,
Bhoranj, District Hamirpur (H.P.).

In the Court of Executive Magistrate (Naib Tehsildar), Bhoranj,
District Hamirpur (H.P.)

In the matter of :

Sh. Parkash Chand s/o Sh. Hari Ram & Smt. Ramku Devi, r/o Village & P.O. Kuthrin, Tehsil Bhoranj, District Hamirpur (H.P.) .. *Applicant.*

Versus

General Public . .*Respondent.*

Application u/s 13(3) of Birth and Death Registration Act, 1969 and Section 9(3) of H.P. Birth and Death Registration Rules, 2003.

Whereas, Sh. Parkash Chand s/o Sh. Hari Ram & Smt. Ramku Devi, r/o Village & P.O. Kuthrin, Tehsil Bhoranj, District Hamirpur (H.P.) has moved an application before the undersigned under section 13(3) of Birth & Death Registration Act, 1969 and Section 9(3) of H.P. Birth & Death Registration Rules, 2003 alongwith affidavits and other relevant documents for entering date of birth 04-05-1950 could not be registered in the record of G.P. Bhounkhar.

Now, therefore by this proclamation, the general public is hereby informed that any person having any objection(s) for the registration of delayed Date of Birth Sh. Parkash Chand s/o Sh. Hari Ram & Smt. Ramku Devi, of may submit their objections in writing or appear in person in this court on or before 06-08-2026 at 10.00 A.M., failing which no objection will be entertained after expiry of date.

Seal. Sd/-

Executive Magistrate,
Bhoranj, District Hamirpur (H.P.).

In the Court of Executive Magistrate (Naib Tehsildar), Bhoranj, District Hamirpur (H.P.)

In the matter of :

Sh. Rajesh Kumar s/o Sh. Banka Ram & Smt. Kaushlya Devi, Village Dialari, P.O. & Tehsil Bhoranj, District Hamirpur (H.P.) .. *Applicant.*

Versus

General Public . .*Respondent.*

Application u/s 13(3) of Birth and Death Registration Act, 1969 and Section 9(3) of H.P. Birth and Death Registration Rules, 2003.

Whereas, Sh. Rajesh Kumar s/o Sh. Banka Ram & Smt. Kaushlya Devi, Village Dialari, P.O. & Tehsil Bhoranj, District Hamirpur (H.P.) has moved an application before the undersigned under section 13(3) of Birth & Death Registration Act, 1969 and Section 9(3) of H.P. Birth & Death Registration Rules, 2003 alongwith affidavits and other relevant documents for entering date of birth 02-04-1985 could not be registered in the record of G.P. Sandhrian.

Now, therefore by this proclamation, the general public is hereby informed that any person having any objection(s) for the registration of delayed Date of Birth Sh. Rajesh Kumar s/o Sh. Banka Ram & Smt. Kaushlya Devi, of may submit their objections in writing or appear in person in this court on or before 06-08-2026 at 10.00 A.M., failing which no objection will be entertained after expiry of date.

Seal. Sd/-

Executive Magistrate,
Bhoranj, District Hamirpur (H.P.).

In the Court of Executive Magistrate (Naib Tehsildar), Bhoranj,
District Hamirpur (H.P.)

In the matter of :

Smt. Amro Devi d/o Sh. Sohan Lal, Village Kakkar, P.O. Chandruhi, Tehsil Bhoranj, District Hamirpur (H.P.) .. *Applicant.*

Versus

General Public . .*Respondent.*

Application u/s 13(3) of Birth and Death Registration Act, 1969 and Section 9(3) of H.P. Birth and Death Registration Rules, 2003.

Whereas, Smt. Amro Devi d/o Sh. Sohan Lal, Village Kakkar, P.O. Chandruhi, Tehsil Bhoranj, District Hamirpur (H.P.) has moved an application before the undersigned under section 13(3) of Birth & Death Registration Act, 1969 and Section 9(3) of H.P. Birth & Death Registration Rules, 2003 alongwith affidavits and other relevant documents for entering date of birth 01-01-1956 could not be registered in the record of G.P. Kakkar.

Now, therefore by this proclamation, the general public is hereby informed that any person having any objection(s) for the registration of delayed Date of Birth Smt. Amro Devi d/o Sh. Sohan Lal, of may submit their objections in writing or appear in person in this court on or before 06-08-2026 at 10.00 A.M., failing which no objection will be entertained after expiry of date.

Seal. Sd/-
Executive Magistrate,
Bhoranj, District Hamirpur (H.P.).

In the Court of Executive Magistrate (Naib Tehsildar), Bhoranj,
District Hamirpur (H.P.)

In the matter of :

Sh. Ashok Kumar s/o Sh. Duni Chand, V.P.O. Hanoh, Tehsil Bhoranj, District Hamirpur (H.P.) .. *Applicant.*

Versus

General Public . .*Respondent.*

Application u/s 13(3) of Birth and Death Registration Act, 1969 and Section 9(3) of H.P. Birth and Death Registration Rules, 2003.

Whereas, Sh. Ashok Kumar s/o Sh. Duni Chand, V.P.O. Hanoh, Tehsil Bhoranj, District Hamirpur (H.P.) has moved an application before the undersigned under section 13(3) of Birth & Death Registration Act, 1969 and Section 9(3) of H.P. Birth & Death Registration Rules, 2003 alongwith affidavits and other relevant documents for entering date of birth 15-02-1966 could not be registered in the record of G.P. Hanoh.

Now, therefore by this proclamation, the general public is hereby informed that any person having any objection(s) for the registration of delayed Date of Birth Ashok Kumar s/o Sh. Duni Chand, of may submit their objections in writing or appear in person in this court on or before 06-08-2026 at 10.00 A.M., failing which no objection will be entertained after expiry of date.

Seal. Sd/-

Executive Magistrate,
Bhoranj, District Hamirpur (H.P.).

In the Court of Executive Magistrate (Naib Tehsildar), Bhoranj, District Hamirpur (H.P.)

In the matter of :

Smt. Shakuntla Devi d/o Sh. Dhani Ram, Village Khaterwar, P.O. Tikkari Minhasasn, Tehsil Bhoranj, District Hamirpur (H.P.) .. *Applicant.*

Versus

General Public . .*Respondent.*

Application u/s 13(3) of Birth and Death Registration Act, 1969 and Section 9(3) of H.P. Birth and Death Registration Rules, 2003.

Whereas, Smt. Shakuntla Devi d/o Sh. Dhani Ram, Village Khaterwar, P.O. Tikkari Minhasasn, Tehsil Bhoranj, District Hamirpur (H.P.) has moved an application before the undersigned under section 13(3) of Birth & Death Registration Act, 1969 and Section 9(3) of H.P. Birth & Death Registration Rules, 2003 alongwith affidavits and other relevant documents for entering date of birth 05-01-1961 could not be registered in the record of G.P. Tikari Minhasan.

Now, therefore by this proclamation, the general public is hereby informed that any person having any objection(s) for the registration of delayed Date of Birth Shakuntla Devi d/o Sh. Dhani Ram, of may submit their objections in writing or appear in person in this court on or before 06-08-2026 at 10.00 A.M., failing which no objection will be entertained after expiry of date.

Seal. Sd/-

Executive Magistrate,
Bhoranj, District Hamirpur (H.P.).

In the Court of Executive Magistrate (Naib Tehsildar), Bhoranj, District Hamirpur (H.P.)

In the matter of :

Reeta Kumari d/o Sh. Shali Gram, Village Paplah, P.O. Bhareri, Tehsil Bhoranj, District Hamirpur (H.P.) .. *Applicant.*

Versus

General Public . .*Respondent.*

Application u/s 13(3) of Birth and Death Registration Act, 1969 and Section 9(3) of H.P. Birth and Death Registration Rules, 2003.

Whereas, Reeta Kumari d/o Sh. Shali Gram, Village Paplah, P.O. Bhareri, Tehsil Bhoranj, District Hamirpur (H.P.) has moved an application before the undersigned under section 13(3) of Birth & Death Registration Act, 1969 and Section 9(3) of H.P. Birth & Death Registration Rules, 2003 alongwith affidavits and other relevant documents for entering date of birth 18-02-1983 could not be registered in the record of G.P. Paplah.

Now, therefore by this proclamation, the general public is hereby informed that any person having any objection(s) for the registration of delayed Date of Birth Reeta Kumari d/o Sh. Shali Gram, of may submit their objections in writing or appear in person in this court on or before 06-08-2026 at 10.00 A.M., failing which no objection will be entertained after expiry of date.

Seal. Sd/-
Executive Magistrate,
Bhoranj, District Hamirpur (H.P.).

In the Court of Naib Tehsildar-cum-**Executive Magistrate Dhatwal at Bijhari, Distt. Hamirpur (H.P.)**

In the matter of :

Brikmi Devi

Versus

General Public

Notice to General Public.

Brikmi Devi d/o Sh. Ganga Ram, r/o Village Changer, Tehsil Dhatwal at Bijhari, Distt. Hamirpur (H.P.) has applied in this office for the entry of her date of birth which took place on 25-02-1958 but due to ignorance it could not be entered in the record of Gram Panchayat Kulhera. In this regard, the applicant Brikmi Devi has submitted the requisite documents mentioning her date of birth as 25-02-1958.

General public is hereby informed through this notice that if anyone has any objection regarding the entry of date of birth of the applicant *i.e.* 25-02-1958, they can either in person or through counsel can file their objections before the undersigned within 30 days from the date of publication of this notice, otherwise the matter shall be proceeded further accordingly.

Issued under my hand and seal of the court on 09-07-2026.

Seal. Sd/-
Executive Magistrate,
Dhatwal at Bijhari, District Hamirpur (H.P.).

ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

मुकद्दमा नं0 : 53 / 2026 तारीख पेशी : 30–07–2026

श्री ईश्वर दास पुत्र सूवा राम, वासी महाल मक्कड, मौजा घुठियालता व तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) ..... प्रार्थी।

बनाम

श्रीमती लता कुमारी पत्नी श्री चमन लाल व अन्य वासी महाल मक्कड, मौजा घुठियालता व तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) ..... प्रतिवादीगण।

नोटिस बनाम : 1. श्री रजिन्द्र सिंह पुत्र व श्रीमती सीमा कुमारी पुत्री तथा श्रीमती लता कुमारी, पत्नी श्री चमन लाल, 2. श्री आर्यन ठाकुर पुत्र व शाक्षी पुत्री श्रीमती रीना कुमारी पुत्री चमन लाल समस्त निवासी महाल मक्कड मौजा घुठियालता व तहसील खुण्ड़िया, जिला कांगड़ा हि0प्र0।

विषय.––श्रीमती सुभद्रा कुमारी पत्नी सुवा राम महाल मक्कड, मौजा घुठियालता व तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) की रजिस्टर वसीयत का इन्तकाल तसदीक करने बारे।

श्री ईश्वर दास पुत्र सूवा राम, वासी महाल मक्कड, मौजा घुठियालता व तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) ने इस अदालत में केस नं0 53 / 2026 ईश्वर दास बनाम श्रीमती लता देवी व अन्य महाल मक्कड मौजा घुठियालता का इन्तकाल तसदीक करने हेतु दावा दायर कर रखा है जिसमें उपरोक्त वर्णित प्रतिवादीगण की तामील बार–बार इतलाह जारी करने पर भी नहीं हो पा रही है और न ही प्रार्थी को इनका सही पता मालूम है। प्रार्थी ने इनका सही पता प्राप्त होने बारे अपनी असमर्थता जताई है। अतः न्यायालय की संतुष्टि व विश्वास हेतु यह सिद्ध हो गया है कि उक्त प्रतिवादीगण की तामील साधारण ढंग से नहीं हो सकती है। अतः उक्त वर्णित प्रतिवादीगण को इस इश्तहार राजपत्र व मुश्त्री मुनादी, चस्पांगी द्वारा सूचित किया जाता है कि वह उक्त मुकद्दमा की पैरवी हेतु असालतन या वकालतन तारीख पेशी 30–07–2026 को हाजिर अदालत होकर पैरवी मुकद्दमा करें। अन्यथा गैरहाजिरी की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर आगामी आदेश पारित कर दिए जाएंगे व बाद तारीख पेशी किसी किस्म का उजर या एतराज स्वीकार्य न होगा।

यह इश्तहार मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से आज दिनांक 30–06–2026 को जारी हुआ।

मोहर। हस्ताक्षरित / –
सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,
खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

––––––––

ब अदालत नायब तहसीलदार व कार्यकारी दण्डाधिकारी, जयसिंहपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

मुकद्दमा नं0 : 8204160 / 2026 किस्म : जन्म पंजीकरण तारीख पेशी : 29–07–2026

वीरेन्द्र सिंह पुत्र श्री श्रवण सिंह, गांव व डाकघर हलेड़ जयसिंहपुर, तहसील जयसिंहपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) ..... प्रार्थी।

बनाम

आम जनता ..... प्रतिवादी।

विषय.––जन्म व मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 की धारा 13(3) के तहत जन्म पंजीकरण हेतु प्रार्थना–पत्र।

वीरेन्द्र सिंह पुत्र श्री श्रवण सिंह, गांव व डाकघर हलेड़ जयसिंहपुर, तहसील जयसिंहपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) ने इस अदालत में प्रार्थना–पत्र मय ब्यान हल्फिया पेश किया व आवेदन किया है कि मेरा जन्म दिनांक 25–09–1979 को गांव व डाकघर हलेड़, तहसील जयसिंहपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0), गांव हलेड़ में हुआ है। परन्तु अज्ञानता के कारण मेरे जन्म का पंजीकरण मेरे घरवालों व किसी भी परिवार के सदस्य ने जन्म का पंजीकरण ग्राम पंचायत के अभिलेख में दर्ज नहीं करवाया है। अतः प्रार्थी इस न्यायालय के माध्यम से अपने जन्म का पंजीकरण करने के आदेश ग्राम पंचायत अप्पर हलेड़ को जारी करवाना चाहता है।

अतः प्रार्थी का आवेदन स्वीकार करते हुए इस इश्तहार मुश्त्री मुनादी एवं चस्पांगी द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को प्रार्थी वीरेन्द्र सिंह पुत्र श्री श्रवण सिंह, गांव व डाकघर हलेड़ जयसिंहपुर, तहसील जयसिंहपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) का जन्म दिनांक 25–09–1979 के पंजीकरण बारे कोई उजर या एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन तारीख पेशी 29–07–2026 को दोपहर 02.00 बजे हाजिर अदालत होकर अपना एतराज पेश कर सकता है। बाद तारीख पेशी किसी किस्म का उजर या एतराज न सुना जाएगा व जन्म पंजीकरण करने के आदेश उप–स्थानीय पंजीकार जन्म व मृत्यु ग्राम पंचायत हलेड़ को पारित कर दिए जाएंगे।

यह इश्तहार मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से आज दिनांक 06–07–2026 को जारी हुआ।

मोहर। हस्ताक्षरित / –
नायब तहसीलदार,
जयसिंहपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

————————

**ब अदालत जनाब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, फतेहपुर,
जिला कांगड़ा (हि0प्र0)**

श्री सिकन्दर सिंह पुत्र चत्तर सिंह, निवासी गांव घोली, डाक खाना लोहरा, तहसील फतेहपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

बनाम

आम जनता

प्रार्थना–पत्र बराए दुरुस्ती नाम राजस्व रिकार्ड महाल घोली, तहसील फतेहपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

प्रार्थी श्री सिकन्दर सिंह पुत्र चत्तर सिंह, निवासी महाल घोली, डाक खाना लोहरा, तहसील फतेहपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) ने प्रार्थना–पत्र गुजारा है कि उनके Matriculation Certificate दस्तावेज में सकिन्दर सिंह (Sakinder Singh) पुत्र चत्तर सिंह दर्ज है, जोकि सही है। परन्तु राजस्व रिकार्ड महाल घोली व बंदवा में उसका नाम सिकन्दर सिंह (Sikander Singh) पुत्र चत्तर सिंह दर्ज हो गया है जोकि गलत है। सिकन्दर सिंह व सकिन्दर सिंह एक ही व्यक्ति के दो नाम हैं व राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का नाम सिकन्दर सिंह पुत्र चत्तर सिंह के स्थान पर सकिन्दर सिंह पुत्र चत्तर सिंह दुरुस्त कागजात माल के आदेश जारी किये जाएं। प्रार्थी के आवेदन के समर्थन में शपथ पत्र प्रार्थी, नकल जमाबंदी व 10th Mark Sheet साथ संलग्न हैं।

अतः इस इश्तहार गजट राजपत्र द्वारा हर आम व खास को प्रार्थी श्री सिकन्दर सिंह पुत्र चत्तर सिंह, निवासी महाल घोली, डाक खाना लोहरा, तहसील फतेहपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) के आवेदन बराए दुरुस्ती नाम राजस्व रिकार्ड सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को प्रार्थी के आवेदन के बारे कोई आपत्ति हो तो वह भीतर एक माह असालतन या वकालतन इस कार्यालय में हाजिर होकर अपनी आपत्ति दर्ज करवा सकता है। कोई आपत्ति दर्ज न होने की सूरत में नियमानुसार दुरुस्ती नाम के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 08–07–2026 को मेरे हस्ताक्षर सहित मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर। हस्ताक्षरित / –
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
फतेहपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

———————

In the Court of Shri Chand Ram Kashyap, Executive Magistrate-cum**-Naib Tehsildar, Shimla (R), District Shimla (H.P.)**

Smt. Rekha d/o Sh. Bhup Ram, r/o Village Kachhat, P.O. Fagu, Tehsil & Distt. Shimla (H.P.).

Versus

General Public . . *Respondent.*

Whereas, Smt. Rekha d/o Sh. Bhup Ram, r/o Village Kachhat, P.O. Fagu, Tehsil & Distt. Shimla (H.P.) has filed an application alongwith affidavit in the court of undersigned under section 13(3) of the Birth & Death Registration Act, 1969 to enter the date of birth of her named Smt. Rekha d/o Sh. Bhup Ram, r/o Village Kachhat, P.O. Fagu, Tehsil & Distt. Shimla (H.P.) in the Secy.-*cum*-Registrar (Birth & Death), Gram Panchayat Darbhog, Tehsil & Distt. Shimla.

Sl. No.	Name of the family member	Relation with applicant	Date of Birth
1.	Smt. Rekha	Self	06-07-1983

Hence, this proclamation is issued to the general public if they have any objection/claim regarding, date of Birth of above named in the Secy.-*cum*-Registrar (Birth & Death), Gram Panchayat Darbhog, Tehsil & Distt. Shimla (H.P.), may file their claims/objections on or before one month of publication of this notice in Govt. Gazette in this court, failing which necessary orders will be passed.

Issued today on 13-07-2026 under my signature and seal of the court.

Seal. Sd/-
Executive Magistrate-cum-*Naib Tehsildar,*
Shimla (R), District Shimla (H.P.).

———————

ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि0प्र0)

मुकद्दमा नं0 : 12 / 2025 तारीख दायर : 21–03–2025

श्री कृष्ण चन्द पुत्र शावणू, निवासी गांव हेलू, तहसील रामपुर (हि0प्र0) .. वादी।

बनाम

आम जनता . . प्रतिवादीगण।

दरख्वास्त नाम दुरुस्ती जेर धारा 37 व 38 (हि0प्र0) भू0 राजस्व अधिनियम अराजी 40 / 102 व 41 / 103 ता 114 बाबत वाका चक गानवी, तहसील रामपुर, जिला शिमला (हि0प्र0)।

इश्तहार बनाम आम जनता :

श्री कृष्ण चन्द पुत्र शावणू, निवासी गांव हेलू, तहसील रामपुर (हि0प्र0) ने जेर धारा 37 व 38 (हि0प्र0) राजस्व अधिनियम अराजी 40 / 102 व 41 / 103 ता 114 वाका चक दवाडा, तहसील रामपुर, जिला शिमला (हि0प्र0) नाम दुरुस्ती दरख्वास्त इस अदालत में बराए गुजारी है जो इस अदालत में विचाराधीन है। उक्त महाल में प्रार्थी का नाम कीशू राम पुत्र शावणू दर्ज है जोकि गलत दर्ज है। प्रार्थी का वास्तविक नाम कृष्ण चन्द पुत्र शावणू है जिसे उक्त महाल में दर्ज कर दुरुस्त करवाना चाहता है।

अतः आम जनता को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त प्रार्थी के नाम दुरुस्ती करने बारा किसी भी व्यक्ति का किसी भी प्रकार का उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 01–08–2026 को प्रातः 10.00 बजे असालतन या वकालतन हाजिर अदालत आकर अपना उजर व एतराज पेश कर सकता है। अन्यथा एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

आज दिनांक 01–07–2026 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।

मोहर। हस्ताक्षरित / –
सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,
रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि0प्र0)।

———————

CHANGE OF NAME

I, Deepak s/o Sh. Ishwar Singh, r/o Village Gawna, P.O. Kutara, Tehsil Rohru, Distt. Shimla (H.P.) declare that my daughter's name is wrongly mentioned as Anvi in her Aadhar Card No. 2426 9020 4005. Therefore, it should be changed to Anamika Multa in her Aadhar Card. Note the relevant information.

DEEPAK
s/o Sh. Ishwar Singh,
r/o Village Gawna, P.O. Kutara,
Tehsil Rohru, Distt. Shimla (H.P.).

———————

CORRECTION OF NAME

I, Hari Singh s/o Sh. Kirpa, r/o Village Dodhwan, Post Office Bhojpur, Tehsil Sunder Nagar, District Mandi (H.P.) declare that in my PAN Card, my father's name has been inadvertently entered as Saru Ram. My father's correct name is Kirpa.

HARI SINGH
s/o Sh. Kirpa,
r/o Village Dodhwan, Post Office Bhojpur,
Tehsil Sunder Nagar, District Mandi (H.P.).

CHANGE OF NAME

I, Kalan Devi w/o Sh. Balam Ram, r/o Village Binga, P.O. Binga, Tehsil Dharampur, Distt. Mandi (H.P.) declare that I have changed my name from Kala Devi to Kalan Devi. I shall be known as Kalan Devi for all purposes in future. All concerned please note.

KALAN DEVI
w/o Sh. Balam Ram,
r/o Village Binga, P.O. Binga,
Tehsil Dharampur, Distt. Mandi (H.P.).

CORRECTION OF NAME

I, Santosh Kumari w/o Sh. Jasvinder Chand, r/o Ward No. 3, Santokhgarh, Tehsil & Distt. Una (H.P.)-174 301 hereby declare that my daughter's name has been wrongly mentioned as Mahira d/o Sh. Jasvinder in her Aadhar Card & H.P. Bonafide Certificate. Her correct name is Mahira Dhiman d/o Sh. Jasvinder Chand. All concerned please may note.

SANTOSH KUMARI
w/o Sh. Jasvinder Chand,
r/o Ward No. 3, Santokhgarh,
Tehsil & Distt. Una (H.P.)-174 301.

CORRECTION OF NAME

I, Charno Devi w/o Sh. Vishamvhar Dass, r/o V.P.O. Kangar, Tehsil Haroli, District Una (H.P.) hereby declare that my name has been wrongly recorded as Charni Devi d/o Sh. Kartar Chand in the Municipal Council Una records. My correct name is Charno Devi. All concerned may kindly note.

CHARNO DEVI
w/o Sh. Vishamvhar Dass,
r/o V.P.O. Kangar,
Tehsil Haroli, District Una (H.P.).

CORRECTION OF NAME

I, Ritika Garg w/o Sh. Kapil Garg, r/o 237/8, Ranital, Nahan, Distt. Sirmaur (H.P.) declare that by mistake previously my name was entered as Nishu Garg in records which should be corrected in all documents only as Ritika Garg.

RITIKA GARG
w/o Sh. Kapil Garg,
r/o 237/8, Ranital, Nahan,
Distt. Sirmaur (H.P.).

CORRECTION OF NAME

I, Rajender Kumar s/o Sh. Paras Ram, r/o Village Jadron, Post Office Byala, Tehsil Sunder Nagar, District Mandi (H.P.) declare that the name of my daughter mentioned in her Aadhar Card as Sanvi. The correct name of my daughter is Sanvi Thakur.

RAJENDER KUMAR
s/o Sh. Paras Ram,
r/o Village Jadron, Post Office Byala,
Tehsil Sunder Nagar, District Mandi (H.P.).

CORRECTION OF NAME

I, Roshni w/o Sh. Pyar Singh, r/o Village Groundi, P.O. Khundail, Tehsil Chamba, Distt. Chamba (H.P.)-176 311 declare that in Aadhar Card of my minor son bearing Number 5826 5532 4084 his name is wrongly entered as Amit Kumar. Whereas, his correct name is Aditya Kumar. He shall be known as Aditya Kumar for all purposes in future. All concerned please note.

ROSHNI
w/o Sh. Pyar Singh,
r/o Village Groundi, P.O. Khundail,
Tehsil Chamba, Distt. Chamba (H.P.)-176 311.

CHANGE OF NAME

I, Atul Kapoor s/o Sh. Surinder Singh, r/o Village Dhanag, P.O. Dhanag, Tehsil Baijnath, Distt. Kangra (H.P.) declare that I have changed my name from Atul to Atul Kapoor. I shall be known as Atul Kapoor for all purposes in future. All concerned please note.

ATUL KAPOOR
s/o Sh. Surinder Singh,
r/o Village Dhanag, P.O. Dhanag,
Tehsil Baijnath, Distt. Kangra (H.P.).

CORRECTION OF NAME

I, Kalpana d/o Sh. Sher Singh, r/o Vill. Oal, P.O. Kupvi, Tehsil Kupvi, Distt. Shimla (H.P.)-171 217 declare that my legal name as per my Aadhar Card No. 9907 5381 3461 is Kalpana. That in records of Gram Panchayat Juddu Shilal (Block Kupvi), my name has been wrongly entered as Sapna. That Kalpana and Sapna are not two different people but are one and the same person. That I request the concerned authorities to update their records to reflect my correct name Kalpana, for all future purposes.

KALPANA
d/o Sh. Sher Singh,
r/o Vill. Oal, P.O. Kupvi,
Tehsil Kupvi, Distt. Shimla (H.P.)-171 217.

CHANGE OF NAME

I, Santosh Kumar s/o Sh. Daulat Ram, r/o Village Jhokar, P.O. Jhokar, Tehsil Kupvi, Distt. Shimla (H.P.)-171 217 do hereby declare that I have changed my minor daughter's name from Oshen Chauhan (Old Name) to Osheen Chauhan (New Name). All concerned please may note.

SANTOSH KUMAR
s/o Sh. Daulat Ram,
r/o Village Jhokar, P.O. Jhokar,
Tehsil Kupvi, Distt. Shimla (H.P.)-171 217.

CHANGE OF NAME

I, Rakesh s/o Sh. Jeet Ram, Tehsil Chopal, Ward No.-2, Chaupal (T), Shimla (H.P.)-171 211 declare that I have changed my minor son's name from Eshane (Old Name) to Ishan (New Name). All concerned please may note.

RAKESH
s/o Sh. Jeet Ram,
Tehsil Chopal, Ward No.-2,
Chaupal (T), Shimla (H.P.)-171 211.

CHANGE OF NAME

I, Mohd Tufal (New Name) s/o Yusaf, Tehsil Chopal, Vill. Kayarla, Kima Chandrauli (135), Shimla (H.P.)-171 210 declare that I have changed my name from Tufal Mohamad (Previous Name) to Mohd Tufal (New Name). All concerned please may note.

MOHD TUFAL
s/o Yusaf,
Tehsil Chopal, Vill. Kayarla,
Kima Chandrauli (135), Shimla (H.P.)-171 210.

CHANGE OF NAME

I, Suresh Kumar s/o Sh. Layak Ram, Bounch (178), Sirmaur (H.P.)-173 027 declare that I have changed my minor daughter's name from Gujan (Old Name) to Gunjan (New Name). All concerned please note.

SURESH KUMAR
s/o Sh. Layak Ram,
Bounch (178), Sirmaur (H.P.)-173 027.

CHANGE OF NAME

I, Birendra Gharti (New Name) s/o Sh. Gopi Ram, Baghi (3), Shimla (H.P.)-171 225 declare that I have changed my name from Birender Gharti (Previous Name) to Birendra Gharti (New Name). All concerned please may note.

BIRENDRA GHARTI
s/o Sh. Gopi Ram,
Baghi (3), Shimla (H.P.)-171 225.

CHANGE OF NAME

I, Aditya Kashyap s/o Sh. Trilok Chand Kashyap, r/o Near Karan Hospital Palampur, Ghugar (211) Palampur, Kangra (H.P.)-176 061 hereby declare that I have changed my name from Dr Aditya Kashyap (Old Name) to Aditya Kashyap (New Name). All concerned please may note.

ADITYA KASHYAP
s/o Sh. Trilok Chand Kashyap,
r/o Near Karan Hospital Palampur,
Ghugar (211) Palampur, Kangra (H.P.)-176 061.

CHANGE OF NAME

I, Rajesh Kumar Suman s/o Sh. Gandhi Ram Suman, r/o Shri Hari Sharnam, Dingle Estate, Combley Bank, Tehsil & Distt. Shimla (H.P.) (Aadhar Card No. 4238 9881 6192) do declare that I have changed my name from Rajesh Kumar Suman to Thakur Rajesh Suman. All concerned please may note.

RAJESH KUMAR SUMAN
s/o Sh. Gandhi Ram Suman,
r/o Shri Hari Sharnam, Dingle Estate,
Combley Bank, Tehsil & Distt. Shimla (H.P.).

CHANGE OF NAME

I, No. 3955426A Ex, Nb. Sub. Dilbag Singh s/o Sh. Ruldu Ram, r/o V.P.O. Haroli, Tehsil Haroli, Distt. Una (H.P.) hereby declare that I have changed my daughter's name from Anju to Anjana Kumari, *vide* affidavit No. 648/MC, dated 22-06-2026 executed before Executive Magistrate Haroli, Distt. Una (H.P.).

DILBAG SINGH
s/o Sh. Ruldu Ram,
r/o V.P.O. Haroli,
Tehsil Haroli, Distt. Una (H.P.).

CHANGE OF NAME

I, Vishal Singh aged 26 years s/o Sh. Kamal Singh, r/o V.P.O. Deoli, Tehsil Ghanari, Distt. Una (H.P.) hereby declare that I have changed my name from Vishal to Vishal Singh. Vishal and Vishal Singh both names are the one and the same person. All concerned note.

VISHAL SINGH
s/o Sh. Kamal Singh,
r/o V.P.O. Deoli, Tehsil Ghanari,
Distt. Una (H.P.).

CORRECTION OF NAME

I, Hira Lal s/o Sh. Chiranji Lal, r/o Chiranji Cottage HIG-19, Housing Board Colony, Chilgari, Tehsil Dharamshala, Distt. Kangra (H.P.) declare that my minor daughter's name was wrongly recorded as Yuvaanshi Boswal in her Birth Certificate. Her correct name is Navratri Boswal. Henceforth, she shall be known as Navratri Boswal for all purposes. All concerned note.

HIRA LAL
s/o Sh. Chiranji Lal,
r/o Chiranji Cottage HIG-19,
Housing Board Colony, Chilgari,
Tehsil Dharamshala, Distt. Kangra (H.P.).

CORRECTION OF NAME

I, Kuldip Kumar (71 years) s/o Sh. Khusi Ram Sood, r/o Vill. & P.O. Paprola, Tehsil Baijnath, Distt. Kangra (H.P.) (India) declare that my correct name is Kuldip Kumar but the same has been wrongly entered as Kuldip Sood, Kuldeep Sood, Kuldep Sood in share company documents. That I want to correct my name as Kuldip Kumar instead of Kuldip Sood, Kuldeep Sood, Kuldep Sood. All concerned note it.

KULDIP KUMAR
s/o Sh. Khusi Ram Sood,
r/o Vill. & P.O. Paprola,
Tehsil Baijnath, Distt. Kangra (H.P.) (India).

CORRECTION OF NAME

I, Parvinder Kaur w/o Sh. Jaswinder Pal, r/o Vill. Dattowal, P.O. & Tehsil Nalagarh, Distt. Solan (H.P.) hereby declare that my correct name is Parvinder Kaur as recorded in my birth certificate and other documents, however, my name has been erroneously entered as Parminder Kaur in my Aadhar Card and I request that this be rectified to Parvinder Kaur. Please take note.

PARVINDER KAUR
w/o Sh. Jaswinder Pal,
r/o Vill. Dattowal, P.O. & Tehsil Nalagarh,
Distt. Solan (H.P.).

CORRECTION OF NAME

I, Sham Lal s/o Sh. Amrit Ram, Vill. Chak, P.O. Thathal, Tehsil Amb, Distt. Una (H.P.) declare *vide* affidavit No. 1174/NT, dated 09-07-2026 before Executive Magistrate Amb, that my name has been wrongly entered in my Aadhar Card as Shyam Lal. Whereas, my correct name is Sham Lal. All note please.

SHAM LAL
s/o Sh. Amrit Ram,
Vill. Chak, P.O. Thathal,
Tehsil Amb, Distt. Una (H.P.).

CORRECTION OF NAME

I, Rajender Kumar s/o Sh. Paras Ram, r/o Vill. Jadron, P.O. Byala, Tehsil Sunder Nagar, Distt. Mandi (H.P.) declare that the name of my son mentioned in his Aadhar Card is Priyanshu. The correct name of my son is Priyanshu Thakur.

RAJENDER KUMAR
s/o Sh. Paras Ram,
r/o Vill. Jadron, P.O. Byala,
Tehsil Sunder Nagar, Distt. Mandi (H.P.).

CORRECTION OF NAME

I, Ruma Devi w/o Sh. Ganga Ram, r/o Vill. Bhatgarh, P.O. Pawan, Tehsil Nerwa, Distt. Shimla (H.P.) do hereby declare that my name has been wrongly entered as Rama Devi in my Aadhar Card. Whereas, my correct name is Ruma Devi. All concerned please may note.

RUMA DEVI
w/o Sh. Ganga Ram,
r/o Vill. Bhatgarh, P.O. Pawan,
Tehsil Nerwa, Distt. Shimla (H.P.).

CORRECTION OF NAME

I, Chandra Devi w/o Sh. Sohan Singh, Vill. Kamrahu, P.O. Chambi, Tehsil Sunder Nagar, Distt. Mandi (H.P.) declare that in my Aadhar Card my name has been wrongly recorded as Chandravati. My correct name is Chandra Devi.

CHANDRA DEVI
w/o Sh. Sohan Singh,
Vill. Kamrahu, P.O. Chambi,
Tehsil Sunder Nagar, Distt. Mandi (H.P.).

CORRECTION OF NAME

I, Sudershan Kumar Uppal s/o Sh. Teloo Ram, Vill. & P.O. Jai Devi, Tehsil Sunder Nagar, Distt. Mandi (H.P.) declare that in my Aadhar Card my name has been inadvertently entered as Sudarshan Kumar. My correct name is Sudershan Kumar Uppal.

SUDERSHAN KUMAR UPPAL
s/o Sh. Teloo Ram,
Vill. & P.O. Jai Devi,
Tehsil Sunder Nagar, Distt. Mandi (H.P.).

CHANGE OF NAME

I, Sunita Sharma w/o Sh. Ram Nath, r/o Village & P.O. Parour, Tehsil Palampur, Distt. Kangra (H.P.) declare that I have changed my name from Pano Devi to Sunita Sharma. I shall be known as Sunita Sharma for all purposes in future. All concerned please note.

SUNITA SHARMA
w/o Sh. Ram Nath,
r/o Village & P.O. Parour,
Tehsil Palampur, Distt. Kangra (H.P.).

CORRECTION OF NAME

I, Gurmej Singh s/o Sh. Saligram, r/o Bain Indorian, P.O. Kathgrah, Tehsil Indora, Distt. Kangra (H.P.) declare that my daughter's name entered as Nidhi Kumari in her Aadhar Card and as well as other documents. But in her school records, her name is written as Nidhi. Nidhi Kumari & Nidhi is one & same child name. I want to add surname of my daughter as Nidhi Kumari in her school records.

GURMEJ SINGH
s/o Sh. Saligram,
r/o Bain Indorian, P.O. Kathgrah,
Tehsil Indora, Distt. Kangra (H.P.).

CHANGE OF NAME

I, Harmindar Singh s/o Sh. Joginder Singh, r/o Near Jawahar Market, Gurusar Mohalla, Una, Tehsil & Distt. Una (H.P.) hereby declare that in my Aadhar Card No. 9753 4036 9271, my name has been wrongly entered as Harminder Singh whereas, my correct name is Harmindar Singh. All concerned please note.

HARMINDAR SINGH
s/o Sh. Joginder Singh,
r/o Near Jawahar Market,
Gurusar Mohalla, Una,
Tehsil & Distt. Una (H.P.).

CHANGE OF NAME

I, Sarita Devi (55) w/o Sh. Gurpal Singh, Village and P.O. Sanghnai, Tehsil Ghanari, Distt. Una (H.P.) publicly declare that I have changed my name from Surita Devi to Sarita Devi, while my Aadhar Card and PAN Card are also in the name of Sarita Devi. Surita Devi and Sarita Devi is one and the same person. In future, I shall be known as Sarita Devi. All please note. Affidavit No. 49/HC, dated 12-02-2026 verified by the Executive Magistrate Ghanari, Distt. Una (H.P.).

SARITA DEVI
w/o Sh. Gurpal Singh,
Village and P.O. Sanghnai,
Tehsil Ghanari, Distt. Una (H.P.).

CHANGE OF NAME

I, Harshul s/o Sh. Ravinder Kumar, r/o Village Sharoti, P.O. Junga, Tehsil Junga, Distt. Shimla (H.P.) declare that the name of my son Arshit as recorded in his Birth Certificate, Aadhar Card and the Family Register of Gram Panchayat Junga has been changed to Avyansh Tanwar.

HARSHUL
s/o Sh. Ravinder Kumar,
r/o Village Sharoti, P.O. Junga,
Tehsil Junga, Distt. Shimla (H.P.).

CHANGE OF NAME

I, Babuda Devi (73) widow of Sh. Gian Chand, r/o Village Ramnagar, P.O. Tatehal, Tehsil Panchrukhi, Distt. Kangra (H.P.) declare that my name is Babuda Devi entered in all records, in my ECHS Card and PPO also. But the same have been entered as Bugro Devi in my Aadhar Card. Babuda Devi and Bugro Devi is one lady. My correct name is Babuda Devi. All concerned be noted.

BABUDA DEVI
widow of Sh. Gian Chand,
r/o Village Ramnagar, P.O. Tatehal,
Tehsil Panchrukhi, Distt. Kangra (H.P.).

CHANGE OF NAME

I, Lalita Devi w/o Sh. Vinod Kumar, r/o V.P.O. Devidhar, Sub-Tehsil Jangla, Distt. Shimla (H.P.) declare that my son's name is wrongly mentioned as Kaka in his Aadhar Card No. 2026 3248 9612. Therefore, it should be changed to Kanishk Negi in his Aadhar Card. Note the relevant information.

LALITA DEVI
w/o Sh. Vinod Kumar,
r/o V.P.O. Devidhar,
Sub-Tehsil Jangla,
Distt. Shimla (H.P.).

CHANGE OF NAME

I, Raksha Devi w/o Mr. Ramesh, Village Chaklot, P.O. Poshana, Tehsil Nirmand, Distt. Kullu (H.P.). My son's name in the Aadhar Card is Phupesh, while the birth Certificate lists Bhupesh Verma. The name Bhupesh Verma should be corrected.

RAKSHA DEVI
w/o Mr. Ramesh,
Village Chaklot, P.O. Poshana,
Tehsil Nirmand, Distt. Kullu (H.P.).

CHANGE OF NAME

I, Rangeela Devi w/o Sh. Kushal Chand, r/o Village Kushwa, P.O. Kushwa, Tehsil Nirmand, Distt. Kullu (H.P.). Ramgila Devi in my Aadhar Card is wrongly mentioned and correct name is Rangeela Devi as per Panchayat Record. Rangeela Devi name should be corrected.

RANGEELA DEVI
w/o Sh. Kushal Chand,
r/o Village Kushwa, P.O. Kushwa,
Tehsil Nirmand, Distt. Kullu (H.P.).

CHANGE OF NAME

I, Sheela Devi w/o Sh. Prem Chand, r/o Village Ropa Rajputtan, P.O. Jaure Amb, Tehsil Barsar, Distt. Hamirpur (H.P.) declare that I have changed my name from Seena Devi to Sheela Devi. I shall be known as Sheela Devi for all purposes in future. All concerned please note.

SHEELA DEVI
w/o Sh. Prem Chand,
r/o Village Ropa Rajputtan, P.O. Jaure Amb,
Tehsil Barsar, Distt. Hamirpur (H.P.).

नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला–5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित
इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षरित राजपत्र, वैबसाइट https://rajpatra.hp.gov.in पर उपलब्ध है एवम् ऑनलाइन सत्यापित किया जा सकता है।